

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)


एफ 2(3)ग्रावि/गुप-1/2006

जयपुर, दिनांक 20 FEB 2015

—:संशोधन आदेश:—

श्री पंकज यादव, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, का पदस्थापन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.02.2015 को अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा) जिला परिषद, बारां किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पंकज यादव का पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा) जिला परिषद, बीकानेर के रिक्त पद पर किया जाता है।

इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल अवकाश देय नहीं होगा। यह आदेश श्री यादव के पूर्व आदेशों की पालना में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर ही मान्य होगा।

  
(उज्ज्वल राठी)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को उनके आदेश दिनांक 23.12.14 के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. शासन सचिव, एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त(महानरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. जिला कलक्टर, बीकानेर/बारां।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर/बारां।
9. संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाता है कि तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।

\_\_\_\_\_

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)